01.04.2023

**प्रेस प्रकाशनी**

**सीबीएसई ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए विशेष अभियान शुरू किया।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) में अपने सभी शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

जैसा कि सीबीएसई उप-विधियों में भी अधिदेशित किया गया है, प्रत्येक शिक्षक से एक वर्ष में बोर्ड द्वारा आयोजित कम से कम 25 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है और शेष उन अन्य स्रोतों से जिनकी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा व्यवस्था की जाती है।

सीबीएसई ने सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में 16 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। उत्कृष्टता केंद्र दो श्रेणियों के तहत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं: सामान्य और विषय विशिष्ट। कक्षा X और XII के विषयों के साथ संरेखित 23 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं जबकि किशोर शिक्षा कार्यक्रम, कला एकीकरण, समावेशी शिक्षा, उमंगपूर्ण शिक्षाकक्ष, साइबर सुरक्षा और संरक्षा से लेकर और अन्य तक 22 सामान्य पाठ्यक्रम हैं।

हाल ही में लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र में 124 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। आंध्र प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूल भी सीबीएसई के दायरे में आ गए हैं। चूंकि अधिक से अधिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो रहे हैं, बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित शिक्षा विभागों के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण देकर इस संक्रमण अवधि के अंतर्गत इन स्कूलों के शिक्षकों का मार्गदर्शन करे।

ऐसे शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सलाह देने के लिए सीबीएसई द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, इस बात पर सहमति बनी है कि अप्रैल, 2023 की शुरुआत के साथ, सीबीएसई सीबीएसई से संबद्ध सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/निकाय प्रशिक्षण के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ अप्रैल से मार्च तक एक केंद्रीकृत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सरकारी शिक्षक को बोर्ड/राज्य सरकार या सरकारी/क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित न्यूनतम 25 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त हो और शेष 25 घंटे के सीपीडी की व्यवस्था स्कूल द्वारा ही की जाएगी।

शिक्षक प्रशिक्षण की सभी कार्य-रीतियों को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में अंतिम रूप दिया गया है, जो सीबीएसई प्रशिक्षण पोर्टल पर अपने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और पीपीपी स्कूलों से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित और ऑनलाइन पंजीकरण करवाएंगे।

**टीम सीबीएसई**